# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

## कार्यालय आदेश

**संविदा पर नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों के मानदेय निर्धारण के संबंध में।**

निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 13.10.13 के मद सं0136.3 में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम में पदाधिकारी एवं कर्मियों की संविदा पर नियोजित कर कार्य लिया जा रहा है तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 2401 दिनांक 18.07.2007 एवं ज्ञापांक 2804 दिनांक 20.03.10 के आलोक में मानदेय के रूप में से0नि0 के समय वेतन+महंगाई भत्ता में पेंशन की राशि घटाने के पश्चात अवशेष राशि का भुगतान किया जा रहा है।

निगम कर्मियों की सेवा पेंशन प्रदायी सेवा नहीं है परन्तु ई0पी0एफ0 की कटौती की राशि के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पेंशन दिया जाता है।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 द्वारा पूर्व निर्गत निदेशों के संशोधित करते हुए संविदा पर नियुक्ति से संबंधित निदेश जारी किया गया है, जिसका अनुपालन निगम स्तर पर नहीं हो रहा है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न प्रस्तावों पर निगम निदेशक पर्षद में विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

1. निगम में हर पद वर्ग में कार्मिकों की अत्यंत कमी है। नियमित नियुक्ति में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में संविदा पर से0नि0 कर्मियों के नियुक्ति कर कार्य संचालन करना ही विकल्प रह गया है। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 की मूल भावना को अंगीकृत करते हुए निहित निदेश के आलोक में संविदा पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु स्वीकृति निदेशक पर्षद से प्रार्थित है।
2. उपर्युक्त वर्णित संकल्प के अनुसार नयी पेंशन योजना से से0नि0 सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों में से0नि0 कर्मियों का संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद सवंर्ग के लिए अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार के परिगणित मानदेय से0नि0 के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में से0नि0 के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही अनुमान्य है।

   उपर्युक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.7.15 को तत्कालिक प्रभाव से निगम में अंगिकृत किया जाय अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना की तिथि दिनांक 10.7.15 से प्रभावी किया जाय के संबंध में निदेशक पर्षद से निर्णय प्रार्थित है।
3. निगम में कार्मिकों की काफी कमी है। निगम से सेवा निवृत कर्मियों/पदाधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति के पश्चात अंतिम वेतन,पेंशन महंगाई भत्ता से ई0पी0एफ0 द्वारा दिये जाने वाले पेंशन की राशि को घटाने के पश्चात अवशेष राशि भुगतान किया जाता रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.7.15 के आधार पर

3. वेतन निर्धारण करने पर निगम कर्मियों के मानदेय की राशि वर्तमान में भुगतान की जानेवाली राशि का आधा(50%) हो रहा है जिसके कारण कर्मियों द्वारा कार्य करने में असमर्थता जतायी जा रही है।

निगम निदेशक पर्षद 152वीं बैठक 8.3.18 के मद सं0 152.12 में निम्न निर्णय लिया गया-

"It was suggested to first seek the advice of Finance Department, Government of Bihar".

तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में संविदा पर नियोजित कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.7.15 के आलोक में मानदेय के संबंध में वित्त विभाग,बिहार, पटना से दिशा निदेश प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है।

17/3/18

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-3.02.49.01.18 - 2723 /पटना,दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/18

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-3.02.49.01.18 -2723 /पटना,दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपि-अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/18

प्रबंध निदेशक